

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम राजेश सिंह रावत
 2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह है उपपत्री आरक्षण सेवा / रिजर्वेशन प्लू
 3. वर्तमान धारित पद उपपत्री
 4. वर्तमान चयन वर्ष वर्ष - 2020
 5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

उस सेवा का नाम, जिसमें वह है उपपत्री आरक्षण सेवा

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पंजीयन है तो बतलाए कि किस नाम पर धारित है और उसका शासक/व्यक्ति कर्मचारी का क्या संबंध है	उस सेवा प्रकाशित होने के बाद धारित पद का नाम क्या होगा या अन्य किस पद का अर्जन की गई है उसका नाम क्या
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि			
1	2	3	4	5	6
ग्राम <u>भौराना</u> <u>पोस्ट राजा की</u> <u>मुँदरी तहसील</u> <u>गिद्यपुरी (वि.प.)</u> <u>(गिद्यपुरी (अ.प.))</u> <u>पिनकोड</u> <u>473551</u>	<u>- Nil -</u>	<u>3 बीघा</u> <u>12 विस्वा</u> <u>(सूची 200)</u>	<u>(आ.न.)</u> <u>75000/-</u> <u>बीघा</u>	<u>- Nil -</u>	<u>- Nil -</u>

वर्ष 2020 से
 वर्ष 2021 से
 वर्ष 2022 से

राजेश सिंह
भूमि

- 1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- 2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- 3- इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर राजेश सिंह
 पदनाम उपपत्री
 नाम राजेश सिंह रावत

टिप्पणी : म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य को यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।